संख्या-8/2016/548/18-2-2016-12(एस0पी0)/2010

प्रेषक

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0, कानपुर।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3- प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्य पालक अधिकारी,
समस्त शासकीय नियंत्रणाधीन निगम/परिषद/प्राधिकरण/स्वायत्तशाषी संस्थायें, उ0 प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 12 अगस्त, 2016

विषयः- सरकारी विभागों एवं शासकीय नियन्त्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/ परिषदों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम (पूर्ववर्ती उ0प्र0 निर्यात निगम) के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता।

महोदय,

प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर इकाइयों के महत्व तथा हथकरघा उद्योग से जुड़े बुनकरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-155 वी.आई.पी./18-5-98-59(एसपी)/92, दिनांक 26 अक्टूबर, 1998 द्वारा 11 (ग्यारह) प्रकार के वस्त्रों का क्रय उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0 एवं यूपिका से अनिवार्यतः क्रय करने के आदेश कतिपय शर्तो के अधीन दिये गये थे, जो 01 वर्ष के लिए प्रभावी थे। बाद में इस शासनादेश की परिसीमा में उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गांधी आश्रम तथा उ0प्र0 निर्यात निगम को भी सम्मिलित किया गया तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध करायी जाने वाली वर्दी को शासनादेश की परिसीमा से बाहर रखते हुए शासनादेश संख्या-3067/18-5-99-59(एसपी)/92, दिनांक 27 दिसम्बर, 1999 जारी किया गया, जो एक वर्ष के लिए प्रभावी था, तदुपरान्त पुनः इस शासनादेश की अवधि प्रत्येक वर्ष बढ़ायी जाती रही है। अंतिम बार अवधि विस्तार शासनादेश संख्या-3/618/18-2-2015-12(एसपी)/2010, दिनांक 17 अगस्त, 2015 द्वारा जारी किया गया था, जो दिनांक 31-3-2016 तक प्रभावी था ।

2- इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं (क्रेता एजेन्सी) द्वारा उ0 प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थायें, श्री गांधी आश्रम, उ0 प्र0 हस्तशिल्प विपणन निगम (जिन्हें आगे आपूर्तिकर्ता संस्था कहा गया है) द्वारा उत्पादित 11 प्रकार के वस्त्रों, को क्रय करने की अवधि,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 31-3-2019 तक के लिये निम्नलिखित शर्तो के साथ बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) आपूर्तिकर्ता संस्थायें जिन वस्तुओं का स्वयं अथवा अपनी संस्था के अधीन पंजीकृत इकाईयों व सोसायटियों के माध्यम से उत्पादन करती अथवा कराती हैं, उनकी एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मूल्यांकन कराकर आपूर्ति करेंगी। यदि किन्हीं कारणवश उक्त संस्थायें क्रयादेश की सीमा तक उत्पादित वस्तुओं की आपूर्ति कर पाने में सक्षम नहीं हो पाती हैं अथवा संस्था आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का उत्पादन नहीं करती है तो वह ऐसी स्थिति में उक्त वस्तुओं की आपूर्ति किसी अन्य संस्था अथवा उत्पादक से क्रय कर, कर सकती हैं, किन्तु इसके लिए उन्हें अनिवार्य रूप से सामग्री क्रय प्रक्रिया का पालन करते हुए टेण्डर के माध्यम से दर सुनिश्चित करनी होगी ।

(2) आपूर्तिकर्ता संस्था उत्पादित या क्रय मूल्य पर (जैसी स्थिति हो), 5.5 प्रतिशत प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षण चार्ज ले सकेगी। आपूर्ति पर लगने वाले सभी प्रकार के कर- वैट इत्यादि एवं प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षण चार्ज के भुगतान का दायित्व क्रेता विभाग का होगा।

(3) क्रेता संस्था का दायित्व होगा कि वह आपूर्तिकर्ता संस्था को, आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की पूर्ण एवं स्पष्ट विशिष्टियां समय से उपलब्ध कराये तथा आवश्यकतानुसार ऐसी सामग्री का सैम्पुल अनुमोदित करे। क्रेता संस्था आपूर्ति की गयी सामग्री निर्धारित मानक के अनुसार होने एवं मात्रा पूर्ण होने का प्रमाणपत्र आपूर्तिकर्ता संस्था को उसके द्वारा निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करायेगी।

(4) वस्तुओं की दर एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता संस्थाओं का होगा। आपूर्तिकर्ता संस्थाये इस संबध में अपने यहां प्रदेश स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी नामित करेंगी, जिसका यह दायित्व होगा कि सामग्री की दर एवं गुणवत्ता उचित है। नोडल अधिकारी यह प्रमाणपत्र भी क्रेता एजेन्सी को देगा कि आपूर्तित वस्त्रों को इससे कम दरों पर किसी सस्था अथवा अन्य स्रोत से क्रय नहीं किया गया है।

(5) उ0प्र0 खादी बोर्ड की प्रमाणित तथा वित्त पोषित संस्थाओं द्वारा क्रयादेश हेतु सीधे आवेदन नहीं किया जायेगा अपितु उनके द्वारा यूपिका के पैटर्न पर बोर्ड के माध्यम से आपूर्ति की जायेगी। उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड अपने अधीन प्रमाणित तथा वित्त पोषित संस्थाओं की कार्य क्षमता के अनुरूप तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के अनुरूप अपेक्षित प्रक्रिया (mechanism) विकसित करेगा। श्री गांधी आश्रम पूर्व की भांति सीधे क्रयादेश ले सकेंगे।

(6) यदि कोई विभाग किन्हीं विशेष अथवा अपरिहार्य कारणों से उक्त क्रय अनिवार्यता से छूट चाहते हैं तो वह अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग को प्रस्तुत करेगा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव पर मा0 मुख्यमंत्री जी का आदेश प्राप्त कर तदनुसार छूट प्रदान करेगा।

(7) पुलिस विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उपलब्ध करायी जाने वाली वर्दी को इस शासनादेश की सीमा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(8) हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग का परामर्श प्राप्त कर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वेब पोर्टल की व्यवस्था प्रदेश के किसी एक जनपद में जनपद स्तरीय आपूर्ति आदेशों के लिये लागू की जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत क्रय हेतु आरक्षित 11 उत्पाद तथा सामग्रियों की सूची निम्नवत है:-

(1) सूटिंग एवं शर्टिंग (खाकी, नेवी ब्लू, ग्रे, सफेद आदि सभी रंगों में)।

(2) काटन बेड दरी (सभी किस्म एवं रंगों में)।

(3) हक्का बैक/हनी कोम्ब/टेरी टावेल।

(4) साड़ी एवं धोती।

(5) बेड-शीट एवं पिलो कवर।

(6) परदे के कपड़े एवं टेपेस्ट्री (सोफा इत्यादि के प्रयोग हेतु)।

(7) ऊनी कम्बल(सभी प्रकार के)

(8) फर्शी दरी।

(9) ऊनी वर्दी का कपड़ा।

(10) गाज बैण्डेज क्लाथ।

(11) दो सूती क्लाथ।

3- कृपया उक्तानुसार प्राविधानित व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों, निगमों व प्राधिकरणों को शासनादेश के अनुपालन हेतु सम्यक् निर्देश जारी करें।

2- प्रमुख सचिव हथकरधा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को इस आशय से प्रेषित कि कि समस्त निगमों/उपक्रमों को शासनादेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी करें।

5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य हथकरधा निगम, लखनऊ।

6- प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 हस्तशिल्प विपणन निगम, लखनऊ।

8- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।

9- गोपन अनुभाग-1/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

आर0 ए0 सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in